

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद
वाद सं० 18/2008-09

मौ अंजनी एजुकेशन समिति बनाम् उ०प्र० सरकार

धारा-143 ज०वि० एवं भू०व्य०अधि०

मौजा-दिवायची

ज०वि० निर्णय दि० 15/10/08

प्रस्तुत कार्यवाही मौ अंजनी एजुकेशन समिति, 323, शम्भूतगर, शिकोहाबाद जिला-फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक राजीव कुमार यादव पुत्र रामगोपालसिंह यादव निवासी- 323, शम्भूतगर, शिकोहाबाद जिला-फिरोजाबाद के द्वारा अन्तर्गत 143 ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजित की गयी। जिसमें कहा कि प्रार्थी मौजा-दिवायची के खाता खतीनी संख्या 261 में अंकित गाटा सं० 228 रकवा 0-417है० व गाटा सं० 229क रकवा 0-065है० व खाता खतीनी संख्या 56 में अंकित गाटा सं० 229 रकवा 0-160है० व खाता खतीनी संख्या 162 में अंकित गाटा सं० 238 रकवा 0-251है० व खाता खतीनी संख्या 161 में अंकित गाटा सं० 243 रकवा 0-125है० व खाता खतीनी संख्या 47 में अंकित गाटा सं० 244 रकवा 0-441है० व खाता खतीनी संख्या 132 में अंकित गाटा सं० 245 रकवा 1-137है० व गाटा सं० 244 रकवा 0-405है० व गाटा सं० 237 रकवा 0-425है० कुल रकवा 3-426है० के संक्रमणीय के मालिक काबिज व दखीलकार है। उपरोक्त भूमि इंजीनियरिंग कालेज हेतु इस्तेमाल की जा रही है। कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन आदि के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को लगान से मुक्त करते हुये अकृषक भूमि घोषित किये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद से कराई गयी। तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक 12.12.2008 को निर्धारित प्रारूप इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गयी। जिसमें कथन किया है कि ग्राम-दिवायची तहसील-शिकोहाबाद के गाटा सं० 238 रकवा 0-251है० व गाटा सं० 228 रकवा 0-417है० व गाटा सं० 229क रकवा 0-065है० व गाटा सं० 243 रकवा 0-125है० व गाटा सं० 244मि० रकवा 0-405है० व गाटा सं० 244 रकवा 0-441है० व गाटा सं० 229 रकवा 0-160है० व गाटा सं० 245 रकवा 1-137है० तथा गाटा सं० 237 रकवा 0-425है० कुल आठ कित्ता रकवा 3-426है० लगान सालाना 83-75 रुपया पर मौजनी एजुकेशन समिति, 323, शम्भूतगर, शिकोहाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर है जिस पर विद्यालय भवन बना है तथा अकृषक भूमि है। उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, शिकोहाबाद की आख्या दिनांक 12-12-08 का अवलोकन किया इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा- दिवायची स्थित उक्त गाटा संख्या की भूमि कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी को आबादी भूमि घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अंतः आदेश किया जाता है कि मौजा-दिवायची तहसील-शिकोहाबाद स्थित गाटा सं० 238 रकवा 0-251है० व गाटा सं० 228 रकवा 0-417है० व गाटा सं० 229क रकवा 0-065है० व गाटा सं० 243 रकवा 0-125है० व गाटा सं० 244मि० रकवा 0-405है० व गाटा सं० 244 रकवा 0-441है० व गाटा सं० 229 रकवा 0-160है० व गाटा सं० 245 रकवा 1-137है० तथा गाटा सं० 237 रकवा 0-425है० कुल आठ कित्ता रकवा 3-426है० लगान सालाना 83-75 पर अंकित पत्रावली अंजनी एजुकेशन समिति, 323, शम्भूतगर, शिकोहाबाद द्वारा प्रबन्धक राजीव कुमार यादव पुत्र रामगोपालसिंह यादव निवासी-323, शम्भूतगर, शिकोहाबाद जिला-फिरोजाबाद की भूमि कृषि भूमि से इतर अकृषक भूमि घोषित की जाती है और उक्त लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्तानुसार अगिलेखों में अंकित करें, एक प्रति उप-निबन्धक शिकोहाबाद को भेजी जावे। वादी का निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के उपरान्त निर्माण करावे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दखिल दफतर की जावे।

दिनांक 15-12-2008

ATTESTED

C. K. Singh Advocate
Dist. Muzary Govt. of India
Road. 7595

(लक्ष्मीशंकर सिंह)

असि० का० प्र०श्रेणी/उपजिलाधिकारी

